

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश :: प्रशासन गांधी से संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की.डी.प्र.दा. व भू अभिलेख निरीक्षक जी.ए.ए.ए. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चावसेग पटवार हल्का की.डी.प्र.दा. तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 84 87 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	चावसेग	84 87	रतन लाल पुग लखु सुरज	रतन लाल पुग लालुराम सुरज

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 07

प्रकारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
करेड़ा

दिनांक:- 16/11/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रतन लाल पुग लालुराम सुरज

प्रकारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

